रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1986/वैशाख 22, 1908
No. 227] NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 1986/VAISAKHA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1986

सं. 291/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 740 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी पद्धति के अनुसार जो साधारणतया उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अंतर्गत उसका अनुद्ग्रहण भी है) की बाबत विद्यमान थी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1985 का 5) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तथा

विद्यमान उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अंतर्गत आने वाले परिरक्षित लेटिक्स, लेटिक्स सांद्र, धूमित रबड़ चादर, क्रेप रबड़ और क्रेम्प रबड़ पर उत्पाद-शुल्क 1 मार्च, 1975 को प्रारम्भ होने वाली और 7 जुलाई, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था, यह निदेश देती है कि ऐसे परिरक्षित लेटिक्स, लेटिक्स सांद्र, धूमित रबड़ चादर, क्रेप रबड़ और क्रेम्प रबड़ पर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन देय समस्त उत्पाद-शुल्क जो उक्त पद्धति के कारण देय नहीं हैं, ऐसे परिरक्षित लेटिक्स, लैटिक्स सांद्र, धूमित रबड़ चादर, क्रेप रबड़ और क्रेम्प रबड़ की बाबत जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क उक्त पद्धति के अनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया जा रहा है, संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

[फा.सं. 13/141/84-सी एक्स-1]
सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1986

No. 291|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 740(E).—In exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the said Act, the duty of excise on preserved latex, latex concentrates, smoked rubber sheets, crepe rubber and crump rubber, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the said Act, as it existed immediately before the commencement of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1985), was not being levied under section 3 of the first mentioned Act, during the period commencing on the 1st March, 1975 and ending with the 7th July, 1983, hereby directs that whole of the duty of excise payable under the first mentioned Act on such preserved latex, latex concentrates, smoked rubber sheets, crepe rubber and crump rubber, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such preserved latex, latex concentrates, smoked rubber sheets, crepe rubber and crump rubber, on which the said duty of excise was not being levied during the period aforesaid in accordance with the said practice.

[F. No. 13|141|84-CX. I]
C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986